प्रेस विज्ञप्ति
26.02.2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), नागपुर उप-आंचलिक कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत सचिन शत्रुघ पांडे और उनके परिवार के सदस्यों की 3.35 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है। जब्त की गई संपत्तियों में 3 व्यावसायिक दुकानें और 2 जमीनें शामिल हैं, जिनका कुल क्षेत्रफल 10.37 एकड़ है।

ईडी ने नागपुर के धंतोली और सीताबुरडी पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत सचिन शत्रुघ्न पांडे और उसके सहयोगियों के खिलाफ आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की।

ईडी की जांच से यह साबित हुआ है कि आरोपी सचिन शत्रुघ्न पांडे और उनकी पत्नी श्रीमती खुशी सचिन पांडे का नागपुर स्थित दो संपत्तियों में अब कोई हिस्सा न होने के बावजूद, उन्होंने शिकायतकर्ता श्री अमित कोठारी के साथ उक्त संपत्तियों को 2.5 करोड़ रुपये में बेचने का समझौता जानबूझकर किया और 2.2 करोड़ रुपये नकद प्राप्त किए। बाद में, शिकायतकर्ता के पक्ष में उक्त संपत्तियों के हस्तांतरण का विलेख निष्पादित न होने के कारण, आरोपी ने शिकायतकर्ता के साथ पुनः एक निरस्तीकरण समझौता किया, जिसमें उसने 31.03.2013 तक शिकायतकर्ता को धन वापस करने का वचन दिया। हालांकि, आरोपी ने जानबूझकर समझौते की शर्तों का पालन नहीं किया और शिकायतकर्ता को 2.2 करोड़ रुपये वापस नहीं किए तथा व्यक्तिगत लाभ के लिए उस धन का दुरुपयोग किया, जिससे शिकायतकर्ता को अनुचित हानि हुई।

जांच में आगे यह भी पता चला कि सचिन शत्रुघ्न पांडे और उनके सहयोगियों ने चंद्रप्रकाश वधवानी को यह कहकर बहकाया कि वे उनकी कंपनी मेसर्स लुफ्ट इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से स्टैंडबाय लेटर ऑफ क्रेडिट (एसबीएलसी) के जरिए बिना किसी सुरक्षा या क्रेडिट के विदेशी संस्था से 18 करोड़ रुपये का ऋण दिलवा देंगे और उक्त ऋण राशि की व्यवस्था करने के लिए शिकायतकर्ता से मार्जिन मनी के नाम पर 1.2 करोड़ रुपये नकद ले लिए। अभियुक्त ने न तो शिकायतकर्ता को वादा की गई ऋण राशि की व्यवस्था की और न ही मार्जिन मनी के नाम पर ली गई धनराशि वापस की, बल्कि निजी लाभ के लिए उसका दुरुपयोग किया, जिससे शिकायतकर्ता को 1.2 करोड़ रुपये का अनुचित नुकसान हुआ। पीएमएलए, 2002 के तहत की गई जांच से यह सिद्ध हुआ है कि मुख्य अभियुक्त सचिन शत्रुघ्न पांडे एक आदतन अपराधी है, जिसने न केवल शिकायतकर्ताओं को बल्कि कई अन्य निर्दोष व्यक्तियों को भी विभिन्न प्रकार के झूठे वादों के माध्यम से धोखा दिया है।

जांच में आगे यह भी पता चला कि सचिन शत्रुघ्न पांडे और उनके सहयोगियों द्वारा प्राप्त धनराशि का कुछ हिस्सा उनके नाम के साथ-साथ उनके परिवार के सदस्यों और संस्थाओं के नाम पर बनाए गए कई बैंक खातों में जमा किया गया था, जिनमें से 90 लाख रुपये पायनियर ग्रुप की परियोजना में आवासीय फ्लैटों की खरीद के लिए, 20 लाख रुपये उनके सहयोगी स्वर्णिम जयकुमार दीक्षित के बैंक खातों में आगे उपयोग के लिए और 70 लाख रुपये से अधिक की राशि नियमित व्यक्तिगत खर्चों को पूरा करने के लिए इस्तेमाल की गई थी। जांच में आगे यह भी पता चला कि शेष नकदी राशि का कुछ हिस्सा आरोपी पत्नी खुशी पांडे के भारत और विदेश में हुए चिकित्सा उपचार में खर्च किया गया और कुछ हिस्सा एक अन्य अचल संपत्ति खरीदने में इस्तेमाल किया गया।

आगे की जांच जारी है।